

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनैन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:-----/ नि०/रो०/ऋण/3-40/17

पटना,दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2016-2017 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-11.08.2018 को चयनित (परिवहन) पुरक प्रक्षेत्र के आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा अररिया जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को पुर्व में स्वीकृति आदेश संख्या 2281 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा निदेश दिया गया था । RTGS पत्रांक 2940 दि० 21.12.2021 के क्र०सं० 01 पर मो० 495470/-राशि Agency के खाता में अंतरित हेतु भेजा गया था। परन्तु Agency का खाता बंद रहने के कारण राशि का भुगतान नहीं हो सका । पुनः आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के साथ सलग्न नया कोटेशन के आधार पर संशोधित स्वीकृत्यादेश तैयार किया गया है।

पूर्व स्वीकृत्यादेश का क्रमांक	चयन सूची क्र०सं०	ऋणावेदक नाम, पिता/पति का नाम तथा पता	पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश में अंकित खाता संख्या	नया खाता संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	प्रोसेसिंग शुल्क एवं डी० डी० की कटौती राशि	भुगतये राशि
1. 1	909/11	MOHAMMAD ASLAM KAMAL, S/o- ISRARUL HAQUE, Vill.-CHAKAI, Block+ PS-JOKIHAT, PO-CHAKAI HAT, Dist.-ARARIA-854329, MOB.-9534294828	Supplier- GIRHINDA MOTOR PVT LTD Add:- N.H.-327E,Araria Raniganj Road, Near SSB Camp Araria-854311 CANARA BANK A/c No.:- 1721214000008, IFSC:- CNRB0001721	Supplier:- SEEMANCHAL MOTORS PVT LTD Add:- N.H.-31, Near Marketing Yard, Gulabbagh, Purnea-854326,Bihar STATE BANK OF INDIA A/c No.:- 32565404130, IFSC:- SBIN0002938	500000	2500+ 2030= 4530	495470
कुल					500000	4530	495470

इस स्वीकृत्यादेश इस हद तक संशोधित समझा जाए । किन्तु स्वीकृत्यादेश संख्या-2281 दिनांक 27.10.2021 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेगा ।

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ज्ञापक: 523

प्रतिलिपि:-सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा /प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं

आई० टी० मैनेजर को एस० एम० एस०/ ई-मेल करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 14/02/2022

प्रबंध निदेशक